प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 13.12.2025

- **कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही जारी।**
- **थाना रुरा पुलिस टीम द्वारा आर्थिक लाभ के लिए एक ही संपत्ति का प्रयोग कर बार बार अवैध तरीके से विभिन्न अभियुक्तों की जमानत लेने वाले 02 जमानतदार अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 11.12.2025 को उपनिरीक्षक दुर्बीन सिंह माननीय न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकृत होने के पश्चात जमानतदारों मनोज कुमार पुत्र राम औतार ग्राम भिखनापुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात व बट्टन लाल पुत्र अनन्त निवासी ग्राम इकघरा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात का सत्यापन करने गये। आम जनमानस से पता किया तो लोगों ने बताया कि यह दोनों लोग पेशेवर जमानतदार हैं और आर्थिक लाभ के लिए एक ही सम्पत्ति को बार बार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके उस सम्पत्ति पर जमानतदार बनकर जमानत लेते हैं (जमानत देने वाले न्यायालय को यह सूचना नहीं देते है कि उस सम्पत्ति पर पूर्व में कितनी बार जमानत ली गई है।) उक्त सम्बन्ध में उपनिरीक्षक दुर्बीन सिंह द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना रूरा पर मु0अ0सं0 0381/2025 धारा 61(2)/318(4)/338/336(3)/340(1)/340(2)/3(5) बीएनएस बनाम 1. बट्टन लाल पुत्र स्व0 अनन्त निवासी ग्राम इकघरा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात उम्र 58 वर्ष 2. मनोज कुमार पुत्र रामऔतार ग्राम भिखनापुर थाना रूरा कानपुर देहात उम्र 32 वर्ष के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अभियुक्त मनोज कुमार उपरोक्त द्वारा कुल 17 मुकदमों व अभियुक्त बट्टनलाल उपरोक्त द्वारा कुल 22 मुकदमों में आर्थिक लाभ लेकर बाहरी अपरिचित अभियुक्तगण से मिलकर षडयंत्र कर फर्जी तरीके से एक ही सम्पत्ति को बार बार छलपूर्वक मिथ्या रूप से प्रस्तुत कर जमानत ली गयी। मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए थाना रुरा पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्तगण 1. बट्टन लाल पुत्र स्व0 अनन्त 2. मनोज कुमार पुत्र रामऔतार उपरोक्त को दिनांक 13.12.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम तिगाई के पास थाना क्षेत्र रूरा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. बट्टन लाल पुत्र स्व0 अनन्त निवासी ग्राम इकघरा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 58 वर्ष।
2. मनोज कुमार पुत्र रामऔतार ग्राम भिखनापुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 32 वर्ष।

अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरण-

बट्टनलाल पुत्र अनन्त उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम इकघरा थाना रूरा कानपुर देहात व मनोज कुमार पुत्र रामऔतार उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम भिखनापुर थाना रूरा कानपुर देहात ने पूछने पर जुर्म इकबाल करते हुए बताया कि बट्टनलाल व उसका साथी मनोज कुमार पुत्र रामऔतार उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम भिखनापुर थाना रूरा कानपुर देहात के साथ मिलकर आर्थिक लाभ के लिए गैर जनपद व दूसरे प्रान्त के लोगों का एक ही जमीन के कागजात बार- बार लगाकर तथा कम जमीन को ज्यादा दर्शा कर,कूटरचित दस्तावेज न्यायालय को भ्रमित कर दुर्दान्त अपराधियों को जो जिला कारागार में काफी दिनों से बन्द है कूटरचित कागज लगाकर मोटी रकम प्राप्त कर जमानत लेने का काम काफी लम्बे समय से मैं और मेरा साथी करते चले आ रहे हैं। मेरे द्वारा अब तक अनगिनत दुर्दान्त/शातिर अपराधियों की एक ही कागज को लगाकर न्यायालय को गुमराह कर जमानत ली गयी है। इसी तरह के अपराध में जेल मे बन्द अंशू सांसी(सिसौदिया) पुत्र दिनेश सांसी ग्राम तलैया थाना मुंगावली जिला अशोक नगर मध्यप्रदेश जो वर्तमान में माती कारागार मे बन्द है, की जमानत के लिए भी हम लोगों ने अपनी जमीन के कागजात लगा रखे हैं। यह कार्य करना हमारा पेशा है। जिसके एवज में हमें दूसरे प्रान्त के अभियुक्त मोटी रकम देते है। जिससे मैं अपना शौक पूरा करता हूँ। अभियुक्त मनोज कुमार द्वारा यह भी बताया गया कि वह एक्सीडेन्ट के मुकदमों में असली वाहन चालक के स्थान पर स्वंय को वाहन चालक के रुप में प्रस्तुत कर अपना ड्राइविंग लाइसेन्स लगाकर सदोष लाभ अर्जित करता है तथा अब तक सात एक्सीडेन्ट के ऐसे अभियोगों मे जिनमे घायल व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है ,में अपना ड्राइविंग लाइसेन्स लगाकर असली अभियुक्त को बचा कर मोटी रकम अर्जित कर चुका है।

अभियुक्त मनोज का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0 सं0 0070/2024 धारा 279/304ए भादवि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0 सं0 0407/2024 धारा 279/304 ए भादवि0 थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0 सं0 0084/2025 धारा 106/125/281/324(4) बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।
4. मु0अ0 सं0 0337/2024 धारा 106/125बी/281 बीएनएस थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।
5. मु0अ0 सं0 0033/2024 धारा 279/304ए भादवि0 थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
6. मु0अ0 सं0 0148/2024 धारा 279/304ए भादवि0 थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
7. मु0अ0 सं0 0042/2025 धारा 106(1)/125बी/281/324(4) बीएनएस थाना रनियां जनपद कानपुर देहात।
8. मु0अ0सं0 0381/2025 धारा 61(2)/318(4)/338/336(3)/340(1)/340(2)/3(5) बीएनएस थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त बट्टन लाल का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 064/92 धारा 307/323/306 भादवि0 थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 0381/2025 धारा 61(2)/318(4)/338/336(3)/340(1)/340(2)/3(5) बीएनएस थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना रुरा पुलिस ।